न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी

प्रमोद कुमार शर्मा,

(RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः 17-04-2026

सेशन प्रकरण सं. **91/2022**

सी.आई.एस. नं. **171/2020**

C.N.R. No. RJBR010015532020

एफ.आई.आर.संख्या 217/2020 पुलिस थाना बारां सदर

अपराध अंतर्गत धारा 8/25 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

PART– I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री ललित नागर, विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1- द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल पुत्र हीरालाल उम्र 52 वर्ष निवासी खेडली मीरा थाना सारोला जिला झालावाड (राज0) 2- रामस्वरूप पुत्र माधोलाल उम्र 35 वर्ष निवासी मोई कला थाना बपावर कला जिला कोटा ग्रामीण। **(निर्णय दि. 25.06.2025)** 3- पवन पुत्र श्यामबिहारी उम्र 22 वर्ष निवासी मोई कला थाना बपावर जिला कोटा ग्रामीण (राज0) **(निर्णय दि. 25.06.2025)** 4- चन्दू उर्फ चन्द्रमोहन पुत्र घांसीलाल उम्र 27 वर्ष निवासी दीगोदपार थाना किशनगंज जिला बारां। **(निर्णय दि. 25.06.2025)** 5- शमशेर शाह पुत्र मलंग शाह निवासी मोईकला थाना बपावर कला जिला कोटा ग्रामीण (राज0) **(निर्णय दि. 25.06.2025)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	1- विद्वान अधिवक्ता-श्री जितेन्द्र नागर, अभियुक्त क्रम-1 द्वारकीलाल की ओर से।

B

अपराध की दिनांक		11.08.2020
एफ०आई०आर० की दिनांक		11.08.2020
आरोप पत्र की दिनांक		09.10.2020
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		28.01.2021
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		17.04.2026
निर्णय सुनाने की दिनांक		17.04.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/ अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल	29.09.2020	05.03.2021	8/25 एन.डी.पी.एस	दोषमुक्त	-	अभियुक्त दिनांक 03.09.20 से 05.03.21 तक पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में एवं दिनांक 31.03.23 से 19.02.24 तक न्यायिक अभिरक्षा तथा दि0 28.08.25 से लगातार आज दिनांक

							तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा।

PART– II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1	प्रवीण कुमार	POLICE WITNESS
PW2	नंदलाल	POLICE WITNESS
PW3	रूपराम मीणा	EYE WITNESS
PW4	उत्तम सिंह	EYE WITNESS
PW5	न्यामत उल्ला	EYE WITNESS
PW6	दिलीप सिंह	POLICE WITNESS
PW7	मांगेलाल	POLICE WITNESS I.O.
PW8	अनिष अहमद	COMPLAINANT & EYE WITNESS
PW9	हरिप्रकाश	POLICE WITNESS
PW10	इन्द्रराज	EYE WITNESS
PW11	बलवीर प्रसाद	POLICE WITNESS
PW12	श्रीमनोहर	POLICE WITNESS

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex **P1/** PW1, PW6, PW7	नक्शा मौका
2	Ex **P2/** PW1, PW7	फर्द गिरफतारी मुल० द्वारकीलाल
3	Ex **P3/** PW2, PW8	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना
4	Ex **P3/** PW3, PW4, PW5, PW8, PW10	फर्द चैकिंग व जप्ती
5	Ex **P4/** PW3, PW8	स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए सहमति
6	Ex **P5/** PW3, PW4, PW5, PW8	फर्द नमूना निजी सील
7	Ex **P6/** PW3, PW4, PW5,PW8	फर्द नष्टीकरण सील
8	Ex **P7/** PW3, PW4, PW5,PW8	फर्द जप्ती मोटरसाईकिल
9	Ex **P8**/ PW3,PW4, PW5,PW8	फर्द पुनः सील
10	Ex **P9**/ PW3, PW4, PW8	फर्द गिरफतारी मुल. रामस्वरूप
11	Ex **P10**/ PW3, PW4, PW8	फर्द गिरफतारी मुल. पवन
12	Ex **P11**/ PW3, PW4, PW8	फर्द गिरफतारी मुल. चंदू उर्फ चन्द्रमोहन
13	Ex **P12**/ PW3, PW4,PW7,PW8	नक्शा मौका घटनास्थल
14	Ex **P13**/ PW4,PW8	स्वतंत्र गवाह बनने हेतु दी गई सहमति
15	Ex **P14**/ PW5, PW8	हुकुमनामा कमलेश
16	Ex **P15**/ PW7	फर्द इत्तला मुल रामस्वरूप
17	Ex **P16**/ PW7	फर्द गिरफतारी मुल० शमशेर
18	Ex **P17**/ PW7	फर्द सूचना दफा-27 मुल. शमशेर
19	Ex **P18**/ PW9	फर्द तस्दीक घटनास्थल
20	Ex **P19**/ PW8	कायमी पर्चा
21	Ex **P20**/ PW8	चाक एफ.आई.आर.
22	Ex **P21**/ PW11	असल मालखाना रजिस्टर
23	Ex **P22**/ PW12	थाने का अग्रेषण पत्र
24	Ex **P23**/ PW12	एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र
25	Ex **P24**/ PW12	एफएसएल में माल जमा की रसीद

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
NIL		

(C) <u>न्यायालय प्रदर्शः</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01	मार्क सी-1	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
02	मार्क सी-2	इन्वेन्ट्री सत्यापन रिपोर्ट मय प्रमाणपत्र

(D) <u>सारवान वस्तु एवं मालखाना</u>:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	-		

01- यह प्रकरण आरक्षी केन्द्र बारां सदर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-217/2020 धारा 8/20, 8/25, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे एन.डी.पी.एस.एक्ट या अधिनियम कहा जायेगा) से सम्बन्धित प्रकरण में प्रस्तुत अभियोग-पत्र के आधार पर संस्थित हुआ है।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से है कि फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी0-3 व कायमी पर्चा प्रदर्श पी-19 के आधार पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.08.2020 को श्री अनिष अहमद पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना अंता ने मय हमराही जाप्ता श्री उत्तम सिंह स.उ.नि., श्री रूपराम हैड कानि0 933, श्री न्यामत उल्ला कानि0 70, श्री कमलेश खाण्डे कानि. 601, श्री इन्द्रराज कानि. 297, मय सरकारी वाहन बोलेरो नंबर आर. जे. 28 यू.ए. 3480 मय अनुसंधान बॉक्स के बावर्दी थाने से समय 12.15 ए.एम. पर वास्ते ईलाका गश्त व जरायम रोकथाम हेतु रवाना होकर गश्त व चैंकिंग ईलाका थाना करता हुआ बारां झालावाड मेगा हाईवे करता हुआ समय 01.05 ए.एम. पर खैराली तिराहा पहुंचा, जहां पर नाकाबन्दी प्रारंभ की। दौराने नाकाबन्दी समय 01.45 ए.एम. पर झालावाड की तरफ से एक मोटर साईकिल आती हुई नजर आई जो पुलिस जाप्ता व वाहन को देखकर एकदम वापस मुडकर जाने लगे, जिनका आचरण संदिग्ध होने से जाप्ता की मदद से 01.50 ए.एम. पर मोटरसाईकिल को डिटेन किया जिस पर तीन व्यक्ति बैठे हुये थे जो काफी घबराये हुये थे। उक्त मोटरसाईकिल पर चालक व पीछे बैठे हुये दोनों व्यक्तियों ने अपनी जांघ पर एक प्लाटिक का कट्टा रखा हुआ था। उक्त माटरसाईकिल नंबर आर. जे. 17 एस.एस. 3598 के चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामस्वरूप पुत्र श्री मांधोलाल निवासी मोई कला थाना बपावर जिला कोटा ग्रामीण तथा बीच में बैठे हुये व्यक्ति ने अपना नाम पवन पुत्र श्री श्यामबिहारी निवासी मोई कला थाना बपावर जिला

कोटा ग्रामीण तथा पीछे बैठे हुये व्यक्ति ने अपना नाम चन्दू उर्फ चन्द्रमोहन पुत्र श्री घांसीलाल निवासी दीगोदपार थाना किशनगंज जिला बारां (राज0) का होना बताया। उक्त तीनों व्यक्तियों से इस प्रकार पुलिस जाप्ता व वाहन को देखकर एकदम पीछे मुडकर जाने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों व्यक्तियों के पास कोई अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर उक्त तीनों व्यक्तियों एवं इनके पास मौजूद मोटर साईकिल पर रखे कट्टे की तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाहन लाने हेतु श्री कमलेश खाण्डे कानि. 601 को समय 02.05 ए.एम. पर लिखित में हुकुमनामा देकर रवाना किया जो समय 02.25 ए.एम. पर वापस आया व कानि. ने हुकमनामा बाद रिर्पोट पेश कर बताया कि "मैंने आसपास जाकर गवाहान को तलाश किये परन्तु रात्री का समय होने से कोई भी स्वतंत्र गवाहान नही मिले" ऐसी स्थिति में उसने हमराही जाप्ता में से श्री उत्तम सिंह सहायक उपनिरीक्षक व श्री रूपराम हैड कानि. 933 से कार्यवाही में गवाह बनने बाबत सहमति प्राप्त कर गवाहान नियुक्त किये गये। तत्पश्चात उसके द्वारा मामूरा गवाहान को स्वंय की तलाशी दी एवं मामूरा गवाहान की तलाशी उसके द्वारा उक्त डिटेन शुदा व्यक्तियों के समक्ष ली गई, किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तू नहीं होने की संतुष्टि के उपरान्त समय 03.00 ए.एम.पर उक्त तीनों व्यक्तियों के पास मिले प्लास्टिक के कटटे को नीचे उतारकर खोलकर देखा तो कट्टे के अंदर हरे रंग के पत्ते, बीज, डंठल व कलियों के रूप में नम अवस्था में भरा हुआ मिला जिसको देखा, परखा, सूंघा व गवाहान को भी दिखाया परखाया तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया एवं उक्त डिटेन शुदा रामस्वरूप, पवन व चन्दु उर्फ चन्द्रमोहन ने भी गांजा होना बताया। उक्त डिटेन शुदा तीनों व्यक्यिों से उक्त गांजे को अपने कब्जे में रखने व लाने ले जाने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्त तीनों व्यक्यिों द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा अपने कब्जे में रख कर परिवहन करना धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त मादक पर्दाथ गांजे को कब्जे पुलिस लिया जाकर साथ लाये इलैक्ट्रॉनिक कांटे से तौल किया गया तो मय बारदाना गांजे का वजन 20 किलो 170 ग्राम हुआ एवं शुद्ध गांजे का वजन 20 किलो ग्राम हुआ। शुद्ध गांजे में से 250 ग्राम गांजे को बतौर नमूना सैम्पल निकाल कर एक प्लास्टिक की थैली में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रख कर शील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-ए दिया गया तथा 250 ग्राम गांजे को बतौर कन्ट्रौल सैम्पल निकाल कर एक प्लास्टिक की थैली में रख कर सफेद कपडे की थैली में रख कर शील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-बी दिया गया तथा शेष बचे 19 किलो 500 ग्राम गांजे को उसी सफेद प्लास्टिक के कट्टे में रखकर शील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-सी दिया गया। उक्त तीनों व्यक्यिों द्वारा अवैध मादक पर्दाथ गांजा का परिवहन करने में प्रयुक्त मोटर साईकिल हीरो आई स्मार्ट नंबर आर. जे. 17 एस. एस. 3598 को बतौर वजह सबूत जप्त की गई एवं उक्त मुलजिमान को पृथक से गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में प्रयुक्त की गई निजी सील को मौके पर ही पत्थर से तोड कर नष्ट की गई। फर्द नष्टीकरण पृथक से मुर्तिब की गई, इत्यादि।

03- वापसी थाने पहुँचकर मुकदमा नम्बर 217/2020 अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् तथ्यों का संकलन करते हुए अभियुक्तगण रामस्वरूप, पवन, चंदू उर्फ चन्द्रमोहन के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, अभियुक्त द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल के विरूद्ध धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा अभियुक्त शमशेर शाह के विरूद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अपराध हेतु अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

04- प्रकरण में अभियुक्त क्रम-2 लगायत 5 का पूर्व में दिनांक 25.06.2025 को निर्णय किया जा चुका है। अतः शेष अभियुक्त क्रम-1 द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल की हद तक प्रकरण का निर्णय किया जा रहा है।

05- बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल के विरूद्ध धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

06- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पी0डी0-1 लगायत पी0डी0-12 के बयान लेखबद्ध किये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-24 को प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य गलत होने व निर्दोष होने का अभिवाक् किया गया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा परंतु अवसर दिये जाने के उपरांत साक्ष्य सफाई पेश नहीं की, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

07- बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

(1) क्या दिनांक 11.08.2020 को समय 03.00 ए0एम0 पर बमुकाम बारां-झालावाड मेगा हाईवे पर खैराली तिराहे के पास दौराने चैकिंग पुलिस ने मोटरसाईकिल नंबर आर0जे0-17 एस.एस. 3598 पर सवार अभियुक्तगण रामस्वरूप, पवन व चंदू उर्फ चन्द्रमोहन के संयुक्त कब्जे से बिना वैध अनुज्ञापत्र के 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया, उक्त मादक पदार्थ के परिवहन हेतु अभियुक्त द्वारकीलाल ने स्वयं के स्वामित्व की मोटरसाईकिल के प्रयोग की अनुमति देते हुए मादक पदार्थ का परिवहन करवाया ?

(2) यदि अभियोजन सन्देह से परे आरोप प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है, तो अभियुक्त को दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

08- बहस के माध्यम से विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित किया जा चुका है। अभियोजन साक्ष्य में आये तुच्छ विरोधाभासों से अभियोजन का प्रकरण प्रभावित नहीं होता है। विभागीय साक्षीगण पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अभियुक्त के द्वारा

अपने स्वामित्व की मोटरसाईकिल से उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करवाया गया है जो साक्ष्य से प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध व दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

09- अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्त ने बहस में तर्क किये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। सह अभियुक्तगण से बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। बरामदगी के समय स्व्यं अभियुक्त द्वारकीलाल का घटनास्थल पर मौजूद होना अथवा सह अभियुक्तगण के सम्पर्क में होना प्रमाणित नहीं है। मादक पदार्थ का परिवहन अभियुक्त द्वारकीलाल के स्वामित्व की मोटरसाईकिल पर किया जाना अथवा उसकी अनुमति से परिवहन किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। जो मोटरसाईकिल बरामद की गयी है, उस पर अभियुक्त द्वारकीलाल का स्वामित्व होना अथवा स्वयं उसके द्वारा सह अभियुक्तगण से मादक पदार्थ का परिवहन करवाया जाना प्रमाणित नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। उसे समस्त सह अभियुक्त के कथनों के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

विचारणीय बिन्दु सं. 1 :-

10- प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 11.08.2020 को बारां-झालावाड मेगा हाईवे पर खैराली तिराहे के पास पुलिस थाना बारां सदर के इंचार्ज पुलिस निरीक्षक अनिष अहमद ने मय जाप्ता दौराने चैकिंग अभियुक्तगण रामस्वरूप, चंदु उर्फ चन्द्रमोहन व पवन के संयुक्त कब्जे से 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बिना वैध अनुज्ञा-पत्र के बरामद किये जाने के तथ्य बताये गये है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये साक्षीगण में स्वयं इंचार्ज थाना व जब्ती अधिकारी अनिष अहमद पी.डब्ल्यू. 8 एवं रूपराम पी.डब्ल्यू. 3, उत्तम सिंह पी.डब्ल्यू. 4, न्यामत उल्ला पी0डी0-5 व इन्द्रराज सिंह पी0डी0-10 परीक्षित करवाये गये हैं जो कि अभियुक्तगण के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा की कथित बरामदगी के समय घटनास्थल पर उपस्थित होना बताये गये हैं। अतः उक्त साक्षीगण प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षीगण हैं। इनके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से शेष गवाहान वे हैं जिन्होंने अनुसंधान के दौरान विभिन्न कार्यवाहियां की हैं।

11- साक्षी अनिष अहमद जो कि प्रकरण में जब्ती अधिकारी एवं तत्समय थाना बारां सदर में पुलिस निरीक्षक होना बताया गया है, को अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू. 08 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.08.2020 को थानाधिकारी थाना बारां सदर के पद पर तैनात था। उस दिन समय 12.15 ए.एम. पर मय हमराही श्री उत्तमसिंह, श्री रूपराम हैड कानि., श्री न्यामत उल्ला कानि., श्री कमलेश खाण्डे कानि., श्री इन्द्रराज सिंह कानि. मय सरकारी वाहन चालक व अनुसंधान बॉक्स के मय हथियार के वास्ते गश्त व चैकिंग इलाका हेतु रवाना होकर गश्त करते हुए समय 01.05 ए.एम. पर झालावाड मेगा

हाइवे खेराली तिराहा पहुंचा, जहां पर नाकाबंदी प्रारंभ की। दौराने नाकाबंदी समय 01.45 ए.एम. पर झालावाड की तरफ से एक मोटरसाईकिल आयी जिस पर तीन व्यक्ति बैठे थे जो पुलिस को देखकर मुडकर जाने लगे, जिन्हें हमराही जाप्ते की मदद से रोका तो उनके पास मोटरसाईकिल पर एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था। मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्तियों से उनका नाम, पता पूछा तो मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 17 एस.एस. 3598 के चालक ने अपना नाम रामस्वरूप, बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पवन व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम चन्दू उर्फ चन्द्र मोहन होना बताया, जिनके पास रखे कट्टे के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया। संदेह होने पर तलाशी आवश्यक होने से कमलेश खाण्डे कानि. को समय 02.05 ए.एम. पर लिखित में हुकुमनामा देकर दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने को कहा। जिसने समय 2.25 ए.एम. पर लौटकर बताया कि रात्रि का समय होने से कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिले। जिस पर समय 02.35 ए.एम. पर श्री उत्तम सिंह व समय 2.45 ए.एम. पर श्री रूपराम हैड कानि. से लिखित में गवाह बनने बाबत सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात डिटेनशुदा व्यक्तियों की तलाशी लेने से पूर्व उसकी स्वयं की तलाशी गवाहान को दी एवं गवाहान की तलाशी पुलिस निरीक्षक द्वारा ली गयी। समय 03.00 ए.एम. पर उसने अपना परिचय डिटेनशुदा तीनों व्यक्तियों को देकर उनके पास मिले कट्टे को उतारकर देखा तो उस पर टी कम्पनी आसाम लिखा हुआ था जिसे खोलकर चैक किया तो कट्टे के अन्दर हरे रंग के पत्ते, बीज, डंठल व कलियों के रूप में नम अवस्था में गांजा मिला जिसको देखा, परखा सूंघा व गवाहान को दिखाया तो सभी ने मादक पदार्थ गांजा होना बताया।

उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि उक्त तीनों डिटेनशुदा व्यक्तियों से उक्त गांजे को अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञा पत्र मांगा तो तीनों ने कोई अनुज्ञा पत्र होना नहीं बताया, जिनका यह कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त गांजा को कब्जे पुलिस लेकर मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल किया तो मय वारदाना वजन 20 किलो 170 ग्राम हुआ एवं शुद्ध गांजे का वजन 20 किलो ग्राम हुआ। शुद्ध गांजे में से 250 ग्राम गांजे को बतौर नमूना सैंपल निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया व मार्क ए दिया। इसी प्रकार 250 ग्राम गांजे को बतौर कंट्रोल सैंपल निकाल उसको प्लास्टिक की थैली में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क बी दिया। शेष बचे गांजे को उसी प्लाटिस्क के कट्टे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क सी दिया। उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा को परिवहन करने में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो आई स्मार्ट नम्बर आरजे 17 एसएस 3598 को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया। मुलजिमान रामस्वरूप, पवन, चन्दू उर्फ चन्द्रमोहन को जरिये फर्द गिरफतार किया। बाद कार्यवाही मौके से रवाना होकर जप्तशुदा माल मोटरसाईकिल व मुलजिमान के थाने आये। मौके पर जिस निजी सील से माल सील मोहर किया था उसकी फर्द नष्टीकरण मौके पर ही मूर्तिब की थी। थाने पर आकर जप्तशुदा माल को पुनः थाने की सील से सील्ड मोहर किया। जप्तशुदा माल को बाद इन्द्राज रजिस्टर जमा मालखाना कराया था।

उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि प्रकरण में एफ0आई0आर0 नम्बर 217/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री मांगेलाल यादव थानाधिकारी थाना कोतवाली बारां को सुपुर्द किया था। दिनांक 11.08.2020 को श्री मांगेलाल यादव पुलिस निरीक्षक के साथ समय 01.10 पी.एम. पर घटना स्थल पर गया था, जहां श्री मांगेलाल यादव ने उसकी निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया। फर्द चैकिंग व जप्ती अवैध मादक पदार्थ प्रदर्श पी-3 है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, कमलेश खाण्डे को स्वतंत्र गवाह लाने के लिए दिया गया हुकुमनामा प्रदर्श पी-14 है, उत्तम सिंह द्वारा स्वतंत्र गवाह बनने की दी गयी सहमति प्रदर्श पी-13 है, रूपराम द्वारा स्वतंत्र गवाह बनने की दी गयी सहमति की फर्द प्रदर्श पी-4 है, फर्द नमूना निजी सील प्रदर्श पी-5 है, फर्द जप्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी-7 है, फर्द गिरफतारी जामा तलाशी मुलजिम रामस्वरूप प्रदर्श पी-9 है, फर्द गिरफतारी मुलजिम पवन प्रदर्श पी-10 है तथा फर्द गिरफतारी मुलजिम चन्दू उर्फ चन्द्र मोहन प्रदर्श पी-11 है, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी-6 है, थाने पर माल को पुनः सील करने की फर्द प्रदर्श पी-8 है, धारा 57 एनडीपीएस एक्ट नोटिस की सूचना प्रदर्श पी-3 है, फर्द नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी-12 है, कायमी पर्चा प्रदर्श पी-19 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-20 है जिन सभी फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान श्री मांगेलाल यादव पुलिस निरीक्षक ने पत्रावली उसके समक्ष प्रस्तुत की थी। अनुसंधान से अभियुक्तगण रामस्वरूप, पवन व चन्दू उर्फ चन्द्रमोहन के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मुलजिम द्वारकीलाल उर्फ द्वारका के विरूद्ध जुर्म धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट व मुलजिम शमशेर शाह के विरूद्ध धारा 8/29 एनडीपीएसएक्ट का प्रमाणित पाया था, जिसमें उच्चाधिकारियों से चालानी आदेश प्राप्त कर चार्ज शीट उसके द्वारा न्यायालय मे पेश की थी।

12- अन्य साक्षी पी0डी0-3 रूपराम, साक्षी पी0डी0-4 उत्तम सिंह, पी0डी0-5 न्यामत उल्ला व पी0डी0-10 इन्द्रराज सिंह जिनको अभियोजन द्वारा वक्त मौका कार्यवाही पुलिस जाप्ता दल में उपस्थित होने के संबंध में पेश कर परीक्षित करवाया गया है, उक्त साक्षीगण ने समान रूप से अपनी मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 11.08.2020 को वे थाना बारां सदर पर तैनात थे। उस दिन अनिष अहमद एसएचओ के साथ वे मय सरकारी बोलेरो मय हथियार मय अनुसंधान बॉक्स वास्ते गश्त व इलाका चैकिंग हेतु थाने से 12.15 बजे रवाना होकर खैराली तिराहे पर पहुंचे, जहां पर नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी एक मोटरसाईकिल झालावाड़ की तरफ से आयी, जो पुलिस जाप्ता को देखकर वापस मुड़कर जाने लगी तो उनके आचरण संदिग्ध होने से मोटरसाईकिल को रोका, जिस पर तीन व्यक्ति बैठे थे, जिनसे नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम रामस्वरूप, दूसरे ने पवन व तीसरे व्यक्ति ने चंदू उर्फ चंद्रमोहन होना बताया। पीछे के दोनों व्यक्तियों के पैरों पर एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था, जिस कट्टे में रखी वस्तु के बारे में उनसे पूछा तो वे घबराये, जिन पर संदेह होने पर कट्टे की तलाशी लिया जाना आवश्यक समझा। तलाशी लिये जाने हेतु स्वतंत्र गवाह बुलाने

के लिये कमलेश कानि0 को लिखित हुकुमनामा एसएचओ ने देकर रवाना किया, जिसने वापस आकर बताया कि रात्रि का समय होने से आसपास कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में एसएचओ साहब ने रूपराम हेड कानि0 व उत्तम सिंह एएसआई को गवाह बनाने की सहमति प्राप्त कर उन्हें गवाह बनाया। फिर एसएचओ को उन्होंने उनकी तलाशी दी तथा उन्होंने एसएचओ की तलाशी ली। उसके बाद डिटेनशुदा व्यक्तियों के पास के कट्टे की तलाशी ली जिसमें हरे रंग की पत्तियां, बीज व डण्ठल रखे हुये थे, जिसे सूंघा व परखा तो अपने अनुभव से उसे गांजा होना पाया। तीनों मुलजिमान से इस बाबत अनुज्ञापत्र मांगा तो उन्होनें अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया, गांजे का तौल किया गया तो मय बारदाना 20 किलो 170 ग्राम हुआ तथा शुद्ध गांजे का वजन 20 किलोग्राम हुआ।

उक्त गवाहान ने आगे कथन किया कि बरामदशुदा गांजे से 250 ग्राम नमूना सेम्पल व 250 ग्राम कण्ट्रोल सेम्पल निकालकर सीलमोहर कर मार्क-ए व बी दिया, शेष गांजा 19 किलो 500 ग्राम को पुनः उसी कट्टे में रखकर सीलमोहर कर मार्क-सी दिया तथा डिटेनशुदा व्यक्तियों को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया। मोटरसाईकिल को जर्ये फर्द जप्त किया, गिरफ्तारशुदा मुल0, जप्तशुदा माल व मोटरसाईकिल मय पैकेट मार्क-ए,बी,सी के लेकर वापसी थाना आये, थाना आकर मुलजिमान को बंद हवालात किया। सीलशुदा पैकेट को थाना हाजा की सील से सील्ड कर जमा मालखाना करवाया। उसी दिन मांगेलाल जी सीआई द्वारा नक्शा मौके की कार्यवाही मुर्तिब की थी। फर्द चैकिंग व जप्ती अवैध मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी-3 है, जिस सील से माल सील्ड किया था उसे पत्थर से तोड़कर नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गयी थी। स्वतंत्र गवाह बनाने के लिये सहमति की फर्द प्रदर्श पी-4 है, फर्द नमूना निजी सील प्रदर्श पी-5 है, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी-6 है, फर्द जप्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी-7 है, फर्द पुनः सील माल प्रदर्श पी-8 है, फर्द गिरफ्तारी मुल0 रामस्वरूप प्रदर्श पी-9, मुलजिम पवन प्रदर्श पी-10, मुल0 चंदू उर्फ चंद्रमोहन प्रदर्श पी-11 है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-12 है, हुकुमनामा कमलेश खाण्डे प्रदर्श पी-14 है, जिन सभी फर्दात पर उनके हस्ता0 है।

13- अन्य गवाह पी0 डब्ल्यु0 1 प्रवीण कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.08.2020 को वह थाना कोतवाली बारां में हैड कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 217/2020 के प्रकरण में एसएचओ कोतवाली के साथ मुलजिम रामस्वरूप की सूचना पर खरीद स्थल की तस्दीक पर मय मुलजिम वह और दिलीप सिंह हैड कानि0 गये थे। उक्त स्थान का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता0 हैं। उक्त प्रकरण में एसएचओ साहब ने दिनांक 29.09.2020 को द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल को गिरफतार किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता0 हैं।

अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वे नक्शे वाले स्थान पर 12.50 बजे पहुंचे थे। उक्त स्थान पर पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्र

गवाह की तलाश की, स्वतंत्र गवाह नहीं मिला तो उन्होंने नक्शा मौका बनाया। यह सही है कि वाहन को रोकने का प्रयास किया था। दो चार वाहन रोके थे, जो वाहन उसने रोके थे उनकी डिटेल उसे आज याद नहीं है।

14- गवाह पी0 डब्ल्यु0 2 नंदलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.08.2020 को थाना बारां सदर पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 217/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में धारा 57 की सूचना लेकर सीओ साहब के कार्यालय गया था। लिफाफा सीओ साहब को दिया, एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कर उसे दे दी। धारा 57 की सूचना की कोपी प्रदर्श पी-3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

15- गवाह पी0डब्ल्यु0 6 दिलीप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.08.2020 को वह थाना कोतवाली बारां पर हैड कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन वह और प्रवीण मांगेलाल जी सीआई के साथ मुलजिम रामस्वरूप को लेकर आमझर माताजी के पास बांगर घाटी लेकर गये थे। जहां पर मुलजिम ने आई0ओ0 को माल खरीदने वाले स्थान की तस्दीक करायी थी। नक्शा मौका तस्दीक, खरीद स्थल गांजा प्रदर्श पी-1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

16- गवाह पी0डब्ल्यु0 7 मांगेलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.08.2020 वह थानाधिकारी थाना कोतवाली के पद पर तैनात था। उस दिन उसे थाना सदर बारां के प्रतिवेदन संख्या 217/2020 का अनुसंधान सुपुर्द किया गया था। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा श्री अनिष अहमद की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी-12 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। गवाहान उत्तम सिंह, रूपराम, न्यामत उल्ला काजी, इन्द्रराज मीणा, कमलेश खाण्डे, बलवीर प्रसाद, मनोहरलाल, नन्दलाल व अनिष अहमद के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। जैर हिरासत मुलजिम रामस्वरूप ने दिनांक 12.08.2020 को उसे इत्तला दी थी कि उसने जिस स्थान पर शमशेर खां से गांजा खरीदा था, उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। फर्द इतला प्रदर्श पी-15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुताबिक सूचना दिनांक 13.08.2020 को गवाह प्रवीण व दिलीप के समक्ष उसे मुलजिम ने घटना स्थल की तस्दीक करायी थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी-1 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल पर जप्तशुदा मोटरसाईकिल का परिवहन अधिकारी से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तो उस मोटरसाईकिल का रजिस्टर्ड स्वामी द्वारकीलाल का होना पाया था। इस पर द्वारकीलाल के खिलाफ जुर्म धारा 8/25 प्रमाणित होने पर उसे जरिये फर्द प्रदर्श पी-2 से गिरफतार किया गया जिस पर ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम शमशेर अली को दिनांक 18.01.2021 को जरिये फर्द प्रदर्श पी-16 से गिरफतार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जैर हिरासत मुलजिम शमशेर ने उसे सूचना दी थी कि जिस स्थान पर उसने रामस्वरूप को गांजा दिया था, उस स्थान को चलकर बता सकता है। फर्द

सूचना प्रदर्श पी-17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम द्वारा मुताबिक सूचना करायी गयी मौका तस्दीक प्रदर्श पी-18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त द्वारकीलाल के आधिपत्य से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

17- गवाह पी0डब्ल्यु0 9 हरिप्रकाश ने साक्ष्य में कथन किया है कि वह थाना कोतवाली, बारां में तैनात था। इस दिन एसएचओ मांगेलाल के साथ मुकदमा सं. 217/2021 का जैर हिरासत मुल्जिम शमशेर अली को लेकर बाघेर घाटी झालावाड आमझर माताजी के पास लेकर गया था। यहां पर मुल्जिम ने मांगेलाल एसएचओ को गांजा बेचे जाने का घटनास्थल तस्दीक कराया। तस्दीक घटनास्थल फर्द प्रदर्श पी 18 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

18- गवाह पी0ड0-11 बलवीर प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 11.08.2020 को वह थाना बारां सदर में हेड कांस्टे0 के पद पर तैनात था। मालखाने का चार्ज उसके पास था। उस दिन श्री अनिष अहमद पुलिस निरीक्षक सदर बारां द्वारा मुकदमा नं 217/2020 में जप्त शील्डशुदा तीन पैकेट मार्क ए, बी, सी व एक मोटरसाइकिल आर जे 17 एसएस 3598 व अभियुक्त रामस्वरूप माली से जामा तलाशी के दौरान मिले 460 रूपये व मुल0 पवन से 210 रूपये व मुल0 चंदु उर्फ चद्रमोहन से 1610 रूपये जमा मालखाना करवाये थे जिनको उसने मालखाना रजिस्टर में क्रम सं0 851/198 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। नमूना सैंपल पेकेट मार्क ए को श्री मनोहर लाल कांस्टे0 915 को शील्डशुदा हालत में देकर मय अग्रेषण पत्र के मार्फत एसपी साहब बारां के दिनांक 18.08.2020 को देकर परीक्षण हेतु एफएसएल जयपुर रवाना किया था, जिसने दिनांक 23.08.2020 को रसीद माल जमा रसीद संख्या 11820 दिनांक 19.08.2020 को लाकर पेश की, जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में किया। रसीद संबंधित आई ओ को सुपुर्द की। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-21 है जिस पर ए से बी के मध्य छह स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पत्रावली पर मालखाना रजिस्टर की नकल पी-21-ए है।

19- गवाह पी0 डब्ल्यु0 12 श्री मनोहर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.08.2020 को वह थाना बारां सदर पर तैनात था। इस दिन मालखाना इंचार्ज बलवीर ने उसे मुकदमा नं 217/2020 में जमाशुदा शील्डशुदा 1 पैकेट मय अग्रेषण पत्र दिया था जिसे लेकर एसपी कार्यालय बारां आया जहां पुनः अग्रेषण पत्र बनावकर जयपुर में दिनांक 19.08.2020 को एफएसएल में जमा कर रसीद प्राप्त की रसीद लाकर मालखाना इंचार्ज को संभलाई। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-22 है। एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-23 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल में मालजमा की रसीद प्रदर्श पी-24 है।

20- उक्त प्रकार से प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण इंचार्ज थाना व जब्ती अधिकारी अनिष अहमद पी.डब्ल्यू. 8, रूपराम मीण पी.डब्ल्यू. 3, उत्तम

सिंह पी.डब्ल्यू. 4, न्यामत उल्ला पी0डी0-5 व इन्द्रराज पी0डी0-10 के सशपथ कथनों को देखे जाने पर यह स्पष्ट दर्शित है कि दिनांक 11.08.2020 की रात्रि में पुलिस थाना बारां सदर के उक्त पुलिस दल को अवैध कार्यों हेतु की जाने वाली नियमित गश्त/नाकाबंदी के दौरान अभियुक्तगण रामस्वरूप, चन्द्रमोहन एवं पवन के संदिग्ध आचरण के आधार पर उनकी तथा उनके पास मौजूद कटटे की तलाशी लिया जाना बताया गया है, जिनके कब्जे से ही मादक पदार्थ गांजा बरामद होने के तथ्य साक्ष्य से स्पष्टतः प्रकट हुए हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त तीनों अभियुक्तगण को थानाधिकारी व जाप्ता के द्वारा रूकवाये जाकर तलाशी लिये जाने के समय उनका मोटरसाईकिल हीरो आई स्मार्ट नंबर आरजे-17 एसएस-3598 पर मादक पदार्थ के साथ जाना बताया गया है। इस बाबत तलाशी के समय मौके पर मौजूद रहने वाले उक्त सभी साक्षीगण में से किसी भी साक्षी के द्वारा ऐसे कोई कथन नहीं किये हैं कि चैकिंग व जप्ती की कार्यवाही के समय उक्त तीनों अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाईकिल के रजिस्टर्ड स्वामी के रूप में अभियुक्त द्वारकीलाल का नाम बताया गया हो अथवा ऐसे कोई कथन थानाधिकारी को किये हों कि अभियुक्त द्वारकीलाल द्वारा स्वयं उनके माध्यम से मादक पदार्थ का परिवहन स्वयं की मोटरसाईकिल पर करवाया गया हो।

21- प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में परीक्षित साक्षी मांगेलाल पी0डी0-7 के द्वारा यद्यपि अपने सशपथ कथनों मे मादक पदार्थ के परिवहन हेतु काम में ली गयी मोटरसाईकिल का रजिस्टर्ड स्वामी द्वारकीलाल होना पाते हुए उसके खिलाफ जुर्म धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट प्रमाणित पाये जाने के कथन किये गये हैं। परंतु उक्त साक्षी द्वारा भी साक्ष्य में परीक्षित होने के समय प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल हीरो आई स्मार्ट आरजे-17 एसएस-3598 का कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अथवा डी.टी.ओ/आर.टी.ओ. कार्यालय से उपलब्ध करवाया गया प्रमाणपत्र प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से मादक पदार्थ के परिवहन हेतु प्रयुक्त की गई मोटरसाईकिल हीरो आई स्मार्ट आरजे-17 एसएस-3598 मादक पदार्थ की बरामदगी के समय किस व्यक्ति के स्वामित्व में रही है, इस बाबत पत्रावली पर प्रलेखीय साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं हुयी है। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट नहीं हुए हैं कि दिनांक 11.08.2020 को स्वयं अभियुक्त द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल द्वारा सह अभियुक्तगण रामस्वरूप, चन्द्रमोहन एवं पवन को अपने स्वामित्व की मोटरसाईकिल के उपयोग की कोई अनुमति अथवा सहमति मादक पदार्थ के परिवहन करने हेतु दी गयी हो। यद्यपि प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 25-06-2025 के माध्यम से सह अभियुक्तगण रामस्वरूप, चन्द्रमोहन एवं पवन को अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया गया है, परंतु अभियोजन साक्ष्य से उक्त सह अभियुक्तगण को मादक पदार्थ के अवैध परिवहन का कार्य अभियुक्त द्वारकीलाल के स्वामित्व की मोटरसाईकिल पर उसकी अनुमति एवं सहमति से किये जाने के तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रकट नहीं होते हैं।

22- अतः उक्त प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के समग्र परिशीलन व विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष का है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से सन्देह से परे यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि दिनांक 11.08.2020 को समय 03.00 ए0एम0 पर बमुकाम बारां-झालावाड मेगा हाईवे पर खैराली तिराहे के पास दौराने चैकिंग पुलिस ने मोटरसाईकिल नंबर आर0जे0-17 एस.एस. 3598 पर सवार सह अभियुक्तगण रामस्वरूप, पवन व चंदू उर्फ चन्द्रमोहन के संयुक्त कब्जे से बिना वैध अनुज्ञापत्र के जो 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया, उक्त मादक पदार्थ के परिवहन हेतु अभियुक्त द्वारकीलाल ने स्वयं के स्वामित्व की मोटरसाईकिल के प्रयोग की अनुमति देते हुए मादक पदार्थ का परिवहन करवाया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारकीलाल धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

- आ दे श -

23- निष्कर्षतः अभियुक्त क्रम-1 द्वारकीलाल उर्फ द्वारकालाल पुत्र हीरालाल उम्र 52 वर्ष निवासी खेडली मीरा थाना सारोला जिला झालावाड (राज0) को धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

24- अभियुक्त के विचारण के दौरान उपस्थिति हेतु प्रस्तुत किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

25- अभियुक्त को धारा 437-ए द0प्र0सं0 के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित होने हेतु 10,000/-रूपये का बन्ध-पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति-पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया जाता हैं

26- प्रकरण में पूर्व में दोषसिद्ध अभियुक्तगण की ओर से माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है, जो वर्तमान में लंबित है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा समस्त माल मय सैम्पल को माननीय राज0 उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए अपील के निर्णय तक सुरक्षित रखा जावे तथा निर्णय के उपरांत समस्त माल मय सैम्पल माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए नियमानुसार ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से निरस्तारित किया जावे।

27- अभियुक्त द्वारकीलाल न्यायिक अभिरक्षा में है, जिसके अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं होने पर इस प्रकरण में अविलम्ब रिहा किये जाने बाबत रिहाई आदेश जारी हो।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बारां।

28- निर्णय आज दिनांक 17-04-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बारां।

PP

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.17 18:05:14 IST